



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 22.09.2023

"प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।"

#ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में की गई सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0-223/2019, धारा-302,504,506 भा0द0सं0 के अभियोग में आरोपी को सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफ.टी.सी. द्वितीय जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त सौंखीलाल पुत्र दरबारी निवासी सिजनौड़ा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त व सजा का विवरण:-

- 1) सौंखीलाल पुत्र दरबारी निवासी सिजनौड़ा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर **आजीवन कारावास व 10,000 रुपये** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।



Meticulous Investigation & Prosecution

HAMIRPUR POLICE



"प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।"

#OperationConviction

के तहत पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में की गई सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0-223/2019, धारा-302,504,506 भा0द0सं0 के अभियोग में आरोपी को सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफ.टी.सी. द्वितीय जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त सौंखीलाल पुत्र दरबारी निवासी सिजनौड़ा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

ADGC
अशोक
कुमार
शुक्ला



विवेचक नि0
श्री मिथिलेश
कुमार

पैरोकार
का0
शुभम कुमार

